GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
DEPARTMENT OF JUSTICE

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. *109

ANSWERED ON 05/12/2024

RETIREMENT AGE OF JUDGES

*109. SHRI RAGHAV CHADHA:

Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether Government has considered increasing the retirement age of Judges in High Courts and the Supreme Court to address the rising pendency of cases in the judiciary;
(b) the current number of pending cases across various courts in the country and its impact on access to justice;
(c) the measures taken by Government to fill judicial vacancies and improve case disposal rates;
(d) whether increasing the retirement age of Judges would help retain experienced legal minds and reduce the backlog of cases; and
(e) the timeline for implementing reforms to improve judicial efficiency and reduce pendency?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

(SHRI ARJUN RAM MEGHWAL)

(a) to (e): A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (e) IN RESPECT OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 109 FOR REPLY ON 5th DECEMBER, 2024 REGARDING RETIREMENT AGE OF JUDGES ASKED BY SHRI RAGHAV CHADHA.

(a): There is no such proposal for increasing the retirement age of Judges of the Supreme Court and High Courts.

(b) to (e): As per information available on National Judicial Data Grid (NJDG), the number of pending cases in courts across the country, as on 28.11.2024, is as under:

S. No.	Name of court	No. of pending cases
1.	Supreme Court of India	82,396
2.	High Courts	61,11,165
3.	District and Subordinate Courts	4,55,98,240

Judges of the Supreme Court and High Courts are appointed under Article 124, 217 and 224 of the Constitution of India and according to the procedure laid down in the Memorandum of Procedure (MoP) prepared in 1998 pursuant to the Supreme Court Judgment of October 6, 1993 (Second Judges case) read with their Advisory Opinion of October 28, 1998 (Third Judges case). As per MoP, initiation of proposal for appointment of Judges in the High Courts vests with the Chief Justice of the concerned High Court. Chief Justice of the High Court is required to initiate the proposal to fill up vacancy of a High Court Judge six months prior to the occurrence of vacancy. However, this timeline is often not adhered to by the High Courts. All the names recommended by High Court Collegium are sent with the views of the Government to the Supreme Court Collegium (SCC) for advice. Only those persons who are recommended by the SCC are appointed as Judges of the High Courts.

Filling up of vacant positions in the case of District and Subordinate courts is the responsibility of the High Courts and State Governments concerned. In exercise of powers conferred under proviso to Article 309 of the Constitution read with Articles 233 and 234, the respective State Governments, in consultation with the concerned High Courts frame the rules and regulations regarding the appointment and recruitment of Judicial Officers in their respective State Judicial Services. The Supreme Court, vide order passed in January 2007, in the Malik Mazhar Sultan case, has, inter-alia, stipulated certain timelines, which are to be followed by the States and the respective High Courts for recruitment of judges for District and Subordinate Courts.

Disposal of cases in courts is within the exclusive domain of the judiciary. Timely disposal of cases is affected by several factors which, inter-alia, include availability of physical infrastructure and supporting court staff, complexity of facts involved, nature of evidence, co-operation of stake-holders viz. bar, investigation agencies, witnesses and litigants and proper application of rules and procedures as also frequent adjournments. The Government is, however, fully committed to speedy disposal of cases. The Government has taken several initiatives to provide an ecosystem for faster disposal of cases by the judiciary. The National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms established by the Government has adopted a coordinated approach for phased liquidation of arrears and pendency of judicial administration through various strategic initiatives, including improving infrastructure for courts, leveraging Information and Communication Technology for better justice delivery, and filling up of vacant positions of Judges in High Courts and Supreme Court.

***

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *109
जिसका उत्तर गुरुवार, 05 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु-सीमा

***109 श्री राघव चड्ढा:**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यायपालिका में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु-सीमा को बढ़ाने पर विचार किया है ;

(ख) देश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की वर्तमान संख्या कितनी है और न्याय प्राप्त करने पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है ;

(ग) सरकार द्वारा न्यायिक रिक्तियों को भरने और मामलों के निपटान की दर में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ;

(घ) क्या न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को बढ़ाने से अनुभवी विधिक विशेषज्ञों की सेवाएं बनाए रखने और लंबित मामलों को कम करने में मदद मिलेगी ; और

(ङ) न्यायिक दक्षता में सुधार लाने और लंबित मामलों को कम करने के लिए सुधारों को लागू करने की समय-सीमा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ) : एक विवरण के सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

श्री राघव चड्ढा द्वारा न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु के संबंध में राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *109 जिसका उत्तर तारीख 5 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है के भाग (क) से भाग (ङ) के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण ।

(क) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) से (ड.) : राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 28.11.2024 तक, देश भर के न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या निम्नानुसार है:

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	लंबित मामलों की संख्या
1.	भारत का उच्चतम न्यायालय	82,396
2.	उच्च न्यायालय	61,11,165
3.	जिला और अधीनस्थ न्यायालय	4,55,98,240

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन और 28 अक्तूबर 1998 की उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी राय (तृतीय न्यायाधीश मामला) के साथ पठित 6 अक्तूबर 1993 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय (द्वितीय न्यायाधीश मामला) के अनुसरण में वर्ष 1998 में तैयार किए गए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव को आरंभ करने का अधिकार संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रिक्त पद को भरने के लिए पद रिक्त होने के छह मास पूर्व प्रस्ताव आरंभ करें। तथापि, प्राय: उच्च न्यायालयों द्वारा इस समय-सीमा का पालन नहीं किया जाता है। उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए सभी नाम सरकार के विचारों के साथ उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को सलाह के लिए भेजे जाते हैं। केवल वे व्यक्ति जिनकी सिफारिश एससीसी द्वारा की जाती है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाते हैं।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के मामले में, रिक्त पदों को भरना संबंधित उच्च न्यायालयों तथा राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकारें संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से अपने-अपने राज्य की न्यायिक सेवाओं में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और भर्ती के संबंध में नियम और विनियम बनाती हैं ।

उच्चतम न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ-साथ, मजहर मलिक सुल्तान के मामले में, जनवरी 2007 में पारित आदेश द्वारा कतिपय समय-सीमाएं नियत की हैं जिनका, जिला और अधिनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की भर्ती के लिए राज्यों और संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा पालन किया जाना है ।

न्यायालयों में मामलों का निपटान न्यायपालिका के विशेष अधिकार क्षेत्र के भीतर आता है। मामलों का समय पर निपटान कई कारकों से प्रभावित होता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भौतिक अवसंरचना और सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंद की उपलब्धता, अन्तर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों जैसे बार, अन्वेषण अभिकरणों, साक्षियों और मुवक्किलों का सहयोग तथा नियमों एवं प्रक्रियाओं का उचित रूप से लागू होना और साथ ही बार-बार स्थगन भी सम्मिलित हैं। तथापि, सरकार मामलों के त्वरित निपटान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सरकार ने, न्यायपालिका द्वारा मामलों के त्वरित निपटान के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए कई पहलें की हैं। सरकार द्वारा स्थापित न्याय परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन ने विभिन्न रणनीतिक पहलों जिसमें न्यायालयों की अवसंरचना में सुधार, बेहतर न्याय वितरण के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का लाभ

उठाना और उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरना भी है, के माध्यम से न्यायिक प्रशासन के बकाया मामलों और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया है ।

****

श्री राघव चड्ढाः सर, इस सदन के नेता रहे स्वर्गीय अरुण जेटली जी, जिनके साथ मेरा व्यक्तिगत रिश्ता कुछ खट्टा-मीठा रहा है, वे कहा करते थे कि 'Pre-retirement judgements get influenced by post-retirement jobs.' मुझे लगता है कि सदन में बैठे कई सारे साथी इस कथन से अपनी सहमति दर्ज करेंगे। सर, पिछले कई सालों से, एक लंबे समय से एक चलन चलता आ रहा है कि जजों की रिटायरमेंट के बाद उन्हें एग्जीक्यूटिव या पोलिटिकल रोल्स दिए जाते हैं। कुछ लोग हमारे सदन में राज्य सभा सदस्य बनकर आ जाते हैं और कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद कई सूबों के गवर्नर लग जाते हैं। इससे जनता के मन में कई प्रकार से सवाल आते हैं। Conflict of interest का सवाल आता है, executive interference in judicial process का सवाल आता है, independence of Judiciary का सवाल आता है।

मेरा सरकार से यह सवाल है कि कुछ सुझाव जो लगातार कई समितियों के माध्यम से भी सरकार के पास आए हैं, उनमें सरकार का क्या विचार है? पहला, जजों की रिटायरमेंट के बाद एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए कि करीब-करीब दो साल तक किसी भी जज को रिटायरमेंट के बाद कोई एग्जीक्यूटिव या पोलिटिकल रोल न दिया जाए और किसी समिति की चेयरमैनशिप भी न दी जाए। ...(**व्यवधान**)... उस सुझाव पर सरकार का क्या कहना है? मेरा दूसरा सुझाव...

MR. CHAIRMAN: Well, to satisfy my very dear friend, Shri Jairam Ramesh, in the United States, they brought in a serious issue, conflict of interest of advocates. They wanted to keep lawyers away from the Congress and the Senate. It was severely debated. Ultimately, it was found that if the conflict of interest issue has to dominate, then the House will be empty because someone will always have a conflict of interest.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, I was referring to Justice Hidayatullah.

MR. CHAIRMAN: Justice Hidayatullah, hon. Members, for your benefit, happens to be the only one in the country who was Chief Justice of India, Vice-President of India and also discharged the functions of President of India without being Vice-President or elected President, something very rare.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, we wish you the best.

श्री सभापति: राघव जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए।

श्री राघव चड्ढा: सर, क्या मैं फिर से शुरू करूँ? ...(**व्यवधान**)... सर, मैं समाप्त कर रहा हूँ।

श्री सभापति: आपने एक बात कही, मुझे अजीब लगी। आपने कहा कि अरुण जेटली जी से आपके खट्टे-मीठे रिश्ते थे। मुझसे भी आपके खट्टे-मीठे रिश्ते हैं। इन खट्टे-मीठे रिश्तों को अब आप छोड़िए, सिर्फ मीठे रिश्ते ही रखिए।

श्री राघव चड्ढा: सर, आपसे तो मीठे रिश्ते हैं। सर, मैं सवाल तो खत्म कर लूँ। सर, आपसे तो बहुत मीठे रिश्ते हैं। परमात्मा करे आपसे हमेशा रिश्ते मीठे रहें, खट्टे न हों।

सर, मेरा जो सवाल था, वह यह था कि जो तीन सुझाव लगातार तमाम समितियों के माध्यम से सरकार के विचाराधीन आए हैं, उन पर सरकार का क्या कहना है? पहला कि जजों की रिटायरमेंट के बाद उन्हें दो साल का cooling-off period देना चाहिए, यानी कि रिटायरमेंट के दो साल तक किसी executive या political role में उनकी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरा सुझाव, उनकी पेंशन को इतना बढ़ा दिया जाए कि जजों की आर्थिक निर्भरता किसी भी post retirement jobs पर न हो, न उनके मन में कुछ इच्छा हो कि हम रिटायरमेंट के बाद सरकार से कोई पोजीशन ले लें। तीसरा सुझाव, जो लगातार आता रहा है कि merit-based appointment का एक process होना चाहिए, जिसके तहत जजों को रिटायरमेंट के बाद नियुक्त किया जाए, न कि सरकार की whims and fancies के तहत।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: चेयरमैन सर, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, उसमें इन्होंने political angle देने का प्रयास किया है। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति संविधान के आर्टिकल 124, 217, 224 तथा सुप्रीम कोर्ट के 1993 Second Judge case और 1998 Third Judge case के आधार पर बनाए गए Memorandum of Procedure के अनुसार की जाती है। यह इनको भी पता है। वर्तमान में हाई कोर्ट के जजों की retirement age 62 years है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की retirement age 65 years है और जो district courts हैं, उनके जजों की retirement age 60 है। ये जिसका ज़िक्र कर रहे हैं कि एक चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें एक resolution लिया गया कि जजेज की retirement age बढ़ानी चाहिए। ये 2010 की एक Parliamentary Standing Committee का ज़िक्र कर रहे हैं, उसने भी अपनी 39th रिपोर्ट में हाई कोर्ट के जजों की उम्र 62 से 65 करने की recommendation दी। इसका इन्होंने ज़िक्र किया। लेकिन इन्होंने इसका ज़िक्र नहीं करके एक दूसरा विषय cooling period का रखा। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में तो जजों की जो retirement age है, उसको बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

श्री सभापति: मंत्री जी, आप पहले यह बताइए कि यह 'cooling period' क्या है? यह मेरी समझ में नहीं आया है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: सर, आप तो संविधान के ज्ञाता हैं और देश संविधान से ही चलता है। संविधान में कोई 'cooling period' word है ही नहीं। इन्होंने मोदी जी की आलोचना करने के लिए इसे ईजाद किया है, और कोई विषय नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की बात है, तो ये जो statutory bodies बनी हैं, क्या ये मोदी जी

ने बनाई हैं; ये tribunals बने हैं, क्या ये मोदी जी ने बनाए हैं? ये देश में पहले से ही हैं। आपने expert आदमी के लिए योग्यताएँ तय की हुई हैं कि हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होना चाहिए या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होना चाहिए। अगर हम इनको भरेंगे ही नहीं, तो इनमें काम कैसे होगा?

[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part – I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link https://sansad.in/rs/debates/officials]

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet at 2.00 p.m.